

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 1428

दिनांक 06/07/2023

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
बख्तू वगैरा	बनाम	मियादाद वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 145/2022

दिनांक : 06.07.2023

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला के मौजा खानू का तला के खेत खसरा सं. 242/02, 306/02, 240/02, 277/02, 305/02, 307/02 रकबा क्रमशः 14.2449, 03.3994, 03.9174, 03.3994, 01.4569, 01.4569 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 1429 to 1432
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण बख्तू वगैरा
3. विप्रार्थीगण मियादाद वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 06/07/2023



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन